न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 239/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. भवानी सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह, जाति राजपूत, निवासी केतूहमा तहसील बालेसर जिला जोधपुर। 2. बाघसिंह पुत्र शैतानसिंह 3. कानसिंह पुत्र मोड़सिंह 4. जब्बरसिंह पुत्र मालमसिंह 5. भंवरसिंह पुत्र हमीरसिंह, सभी जातियान राजपूत निवासीगण धीरपुरा तहसील बालेसर जिला जोधपुर।		1 टीकमसिंह पुत्र भंवरसिंह 2 सवाई सिंह पुत्र भंवरसिंह 3 लोकेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह 4 शंकर कवंर पत्नी भंवरसिंह 5 रूपसिंह पुत्र डूंगरसिंह 6 मूलसिंह पुत्र कुभसिंह सभी कौम राजपूत, निवासीगण ग्राम भगतगढ कुई इन्दा तहसील बालेसर जिला जोधपुर। 7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर जोधपुर मुकदमा संख्या 61/2019 बअनवान टीकमसिंह वगैरा बनाम तहसीलदार बालेसर द्वारा निर्णय दिनांक 25.07.2019 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2– श्री परमवीसिंह, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की ओर से।
3– श्री नवलसिंह दहिया, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 07 नवम्बर, 2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक ता छः के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.6.2019 को प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम भगतगढ पटवार हल्का कुई इन्दा तहसील बालेसर के खेत खसरा संख्या 137 रकबा 107.04 बीघा एवं ग्राम धीरपुरा पटवार हल्का केतूकला के ख0सं0 1698/1642 रकबा 45.03 बीघा भूमि आई हुई है मौके पर प्रार्थीगणों का कब्जा काश्त है। पडौसी खेतों की सीमा के कोई पक्के मुटाम मौके पर नहीं है, ऐसे में पडौसी खातेदारान प्रार्थीगण को परेशान करते रहते है.। तथा प्रार्थीगण के खेतों का सीमाचिन्हों से नाप कर मौके पर पत्थरगढी करवाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.07.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि की पैमाइश पडौसी खातेदारानों को सूचित कर पडौसी खातेदारों के रूबरू सीमाज्ञान करन पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार बालेसर को प्रदान किये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोण्डेंटगण के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

जारी किये तथा दिनांक 10.07.2019 को तहसीलदार, बालेसर के द्वारा प्रस्तुत जवाब को शामिल मिसल किया गया तत्पश्चात उक्त पत्रावली बहस हेतु रखी गई। अधिनस्थ अदालत ने दिनांक 25.07.2019 को बहस सुनकर उसी दिन रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया गया जबकि वर्तमान अपीलांटगण को उक्त खसरान की भूमि के पडौसी खातेदार होने के नाते पक्षकार नहीं बनाया तथा न ही अपीलांटस को सुनवाई का मौका दिया। अपीलाण्टगण को सुने बिना एकतरफा आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलाण्टगण विवादित खेत के पडौसी थे परन्तु उन्हें सुनवाई का मौका दिये बिना मातहत अदालत ने पत्थरगडी करने का आदेश पारित कर दिया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि धारा 111 व सपठित धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि लैण्ड रेकोर्ड ऑफिसर उक्त प्रार्थना पत्र को अन्तिम रूप से निर्णित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करेगा तथा खेत के पडौसियों को यानी दोनो पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित करेगा, परन्तु तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाए बिना व खेत के पडौसी खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दियां। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने रेवेन्यु रेकर्ड का व रेवेन्यु नक्शे का सही से अवलोकन नही किया। रेवेन्यु रेकर्ड व सर्वे के नक्शो के अनुसार कोई अपीलाधीन आदेश पारित नही किया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट टीकमसिंह वगैरा ने उक्त प्रार्थना पत्र में मात्र तहसीलदार, बालेसर को ही पक्षकार बनाया जबकि कानून का तयशुदा सिद्वान्त है कि पत्थरगडी के प्रार्थना पत्र में समस्त पडौसियों को पक्षकार बनाकर तथा उन्हें जवाब व सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करना चाहिये। इस कारण रेस्पोडेन्ट टीकमसिंह का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 सी0पी0सी0 मिस ज्युवाईन्डर ऑफ पार्टी के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य था। उक्त खसरान की भूमि की पत्थरगडी सीमांकन रिपोर्ट के अभाव में निर्णय पारित किया है इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। खसरा नम्बर 137 रकबा 107 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 1698 /1642 रकबा 45 बीघा 3 बिस्वा भूमि मौजा कुई ईन्दा व मौजा धीरपुरा तहसील बालेसर में स्थित है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त खसरान की भूमि की पत्थरगडी करते समय संबधित पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए पत्थरगडी की जावे परन्तु मौका फर्द पत्थरगडी पर किसी भी पड़ौसी खातेदारो के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही उनको सुनवाई का मौका दिया तथा नही उन्हें सूचना दी। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, बालेसर ने रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसमें पैरा नम्बर 2 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य व स्थिति बताई गयी है। ऐसी स्थिति में पडौसी व सहखातेदारों की उपस्थिति में पैमाईश कर पत्थरगडी कराया जाना उचित है परन्तु अधिनस्थ अदालत ने पडौसियों खातेदारो को सुनवाई का मौका दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि मातहत अदालत के आदेश दिनांक

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

जाकर मौका फर्द कमशः दिनांक 7.12.2019 व 8.12.2019 व 12.12.2019 को तैयार की तथा दिनांक 13.08.19 को पुलिस इमदाद लेकर दिनांक 14.11.19 की पालना मौका पर पैमाईश कर पत्थरगडडी कराई गई तथा अपनी मौका फर्द में खसरा नं0 137 की दादीण मेड़ पर करीब 27 गटटा का अन्तर आना बताया है तथा खसरा न0 1698/1642 की दक्षिणी माठ का सिरा जहां से सरहद से लगता है उससे आगे सरहद पर अन्तर पाया गया जिससे पैमाईश कर सही स्थान कायम किया जाकर पत्थरगडी की गई है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलाण्ट पडौसी खातेदारो की जमीन पर पत्थरगडी की गई है तथा पडौसी खातेदारो को कोई सुनवाई का मौका नही दिया तथा उनकी उपस्थिति में पत्थरगडडी कार्यवाही नही कि गई है। ऐसे में उपरोत समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2019 को निरस्त किया जावें। अपीलान्टस के अधिवक्ता के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीर आरआरटी 2015 (1) पेज 608, आरआरडी 14.5.2017 पेज 289 का अवलोकन कराया।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि जो ग्राम भगतगढ, पटवार हल्का कुई ईन्दा बालेसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खेत खसरा न0 137 रकबा 107.04 बीघा किस्म बारानी तृतीया तथा ग्राम धीरपुरा पटवार हल्का केतुकलां में स्थित खसरा न0 1698/1642 रकबा 45.03 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ भूमि आई हुयी है तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुशतैनी पूर्वजों की भूमि है तथा मौके पर भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार काबिज मालिक है। प्रार्थना पत्र के संलग्नं जमाबंदी की नकल व ट्रेस नक्शा भी पेश किया गया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के पड़ौसी खेतो की सीमा के कोई भी पक्के मुटाम मौके पर नहीं है तथा उनके खेतो के बीच पुरानी माठ भी मौके पर मौजूद नहीं है व पक्के मुटाम नहीं है और खेत की माठ व कणे भी खुर्दबुर्द हो चुकी है तथा प्रार्थीगण व पडौसी खेतो के बीच कोई पक्की माठ व मुटाम नहीं होने से सभी को अपने खेतो की सीमाओं का सही ज्ञान नही है तथा पडौसी खातेदार हर समय सीमा को लेकर परेशान करते रहते है।

ऐसे में रेस्पो0/प्रार्थीगण की ओर से खेत ख0न0 137 व 1698/1642 की भूमि की पैमाइश करवाने हेतू तहसीलदार, बालेसर को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन उक्त आवेदन का किसी प्रकार का निस्तारण नही होने एवं निस्तारण में समय लगने की संभावना के चलते एवं मौके पर पक्के मुटाम नहीं होने एवं सीमाज्ञान नहीं होने के कारण अपने खेत मे बुवाई करने वाली फसल की रखवाली के लिए तारबंदी व जाली करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। पडौसी खेतो के खातेदार अपनी मनमर्जी से बिना पैमाइश के तथा बिना सीमाज्ञान के प्रार्थीगण के खेत की सीमा के अन्दर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है तथा पडौसी खेतो के पक्षकारों के मध्य आपस मे बिना नाप के किसी प्रकार की कार्यवाही अथवा तारबन्दी से भविष्य में विवाद बढने व दावो का बाहुलता होने

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

करवाकर पत्थरगढी करवा कर भूमि को सुरक्षित करने हेतु तारबन्दी व दीवार करवाना चाहते है इस कारण वर्षा के समय प्रार्थीगण द्वारा बोई जाने वाली फसल को आवारा पशु नष्ट कर देते है जिससे प्रार्थीगण को भारी आर्थिक नुकसान पहुचता है तथा पडौसी खातेदारों द्वारा दखलअन्दाजी करने पर पत्थरगड्डी से पैमाइश करवाकर उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहते है।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 के योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बालेसर से जवाब तलब किया जिस पर तहसीलदार, बालेसर के द्वारा पेश जवाब के आधार पर रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त खसरान रकबा भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार, बालेसर को भू मापक आयुक्त नियुक्त कर राजस्व मण्डल, अजमेर के नियमानुसार भूमि की पैमाइश पडौसी खातेदारों को सूचित कर पडौसी खातेदारों के रूबरू सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने के दिनांक 25.07.2019 को आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 के योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थीगण के द्वारा अपनी अपील में भी यही तथ्य उल्लेख किये है कि उनको प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया और सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है जबकि अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया था सभी पडौसी खातेदारों को सूचित कर उनके रूबरू सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करें। इस प्रकार अपीलान्टस की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 के योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.7.2019 की पालना कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, जिसके क्रम में तैयार मौका फर्द भी उपस्थित लोगों की मौजूदगी में तैयार की गई तथा वादग्रस्त भूमि की ग्राम भगतगढ के ख0सं0 137 रकबा 107.04 बीघा व ग्राम धीरपुरा के ख0सं0 1698/1642 रकबा 45.03 बीघा भूमि की मौके पर पैमाइश कर पत्थरगढी करवाकर नम्बरींग की गई थी जो विधि अनुकूल की गई है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश यथावत रखने योग्य है। इस आधार पर भी अपीलान्टस की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की, पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश दिनांक 25.07.2019 इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि रेस्पोडेन्ट टीकमसिंह वगैरा ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मात्र तहसीलदार, बालेसर को ही पक्षकार बनाया जबकि पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करवाने से पूर्व वादग्रस्त खसरा भूमि के समस्त पडौसी खातेदारों यानि हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर तथा उन्हें जवाब व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त उक्त खसरान की भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व भूमि का सीमाज्ञान भी नहीं किया गया है। सीमाज्ञान की रिपोर्ट के अभाव में पत्थरगढी किये जाने बाबत अधिनस्थ

आयुक्त

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के मध्यनजर विधि विपरित होने के कारण न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर, जिला जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2019 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 07 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ० पी० बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर